बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संОसं09/कोर्ट–10–29/2013 /स्वा0/पटना, दिनांक /डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण ईकाई, रूपौली सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखंड कटिहार के द्वारा नियम के विपरीत राशि का दुरूपयोग करने, वितीय अनियमितता एवं प्राप्त आवंटन से अधिक राशि की दवा एम0 एस0 डी0 कोलकता से क्रय करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 1476(2) दिनांक 5.11.2011 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1612(2) दिनांक 14.9.2002 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में आरोपों को प्रमाणित मानते हुए अधिगम समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 874(9) दिनांक 18.06.2005 द्वारा डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई।

3. डा0 यादव से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा उत्तर को समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत इन्हें अनिवार्य सेवानिवृति करने का निर्णय लिया गया, परन्तु अनिवार्य सेवानिवृति की अर्हक सेवा अवधि पूरी नहीं करने के कारण डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई, रूपौली, पूर्णिया से संबंधित संलेख को मंत्रिपरिषद के दिनांक 17.07.2009 की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वापस ले लिया गया।

4. डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई, रूपौली, पूर्णिया के एम0 एस0 डी0 घोटाले में संलिप्तता के आरोप की पुनः समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरांत विभागीय संकल्प सं0 670(9) दिनांक 29.5.2012 के द्वारा डा0 यादव को बर्खास्त कर दिया गया।

5. डा0 यादव ने अपने बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया। डा0 यादव से प्राप्त अपील अभ्योवदन को समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं0 281(9) दिनांक 25.2. 2013 के द्वारा अस्वीकृत किया गया।

6. डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई, रूपौली, पूर्णिया द्वारा अपने बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 11598/14 दायर किया गया।

7. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 11598/2014 में दिनांक 3.4.2018 को पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत हैः–

"In the result this writ petition is allowed and the order dated 25.2.2013 (Annexure-1) and 29.5.2012 (Annexure-2) are set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority to proceed, if so desires, afresh in accodance with law.

The petitioner shall be entited to all consequential benefits."

8. माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 11598/2014 में, दिनांक 03.04.2018 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर करने हेतु विधि विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता द्वारा इसे अपील दायर करने का मामला नहीं बताते हुए आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का मंतब्य दिया गया।

9. तदनुसार डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ नियंत्रण इकाई, रूपौली, सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखंड कटिहार के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई, रूपौली संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सदर प्रखंड, कटिहार के बर्खास्तगी आदेश विभागीय संकल्प सं0 670(9) दिनांक 29.05.2012 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। डा0 यादव प्रशाखा 2, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगें।

10. इस आशय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की दिनांक 31.5.2019 की बैठक में उपस्थापित प्रस्ताव सं0 7 के रूप में प्रदत्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(विवेकानंद ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 636(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 19/6/2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया/ सिविल सर्जन कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 योगेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ नियंत्रण ईकाई, रूपौली सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखंड कटिहार वर्तमान पता-पिता श्री रामबहादुर यादव, ग्राम+पो0-फुलपरास, जिला-मधुबनी, फोन नं0-9708983875 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/06/19

सरकार के अवर सचिव।

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx